संख्या-सम्ब0-504/सत्तर-2-2011-2(504)/2011

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 — लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 2011

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः सम्ब0/11/4445-46, दिनांक 12.8.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, पुवायां, शाहजहांपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम/विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2011 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-504(1)/सत्तर-2-2011-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) सचिव/प्रबन्धक, स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, पुवायां, शाहजहांपुर
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) वेवमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

सख्या-सम्ब0-359/सत्तर-2-2011-2(359)/2011

प्रेषक,

सुरजन सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 — लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2011

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः सम्ब0/4373-74, दिनांक जुलाई, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, पुवायां, शाहजहांपुर को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2011 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

—2—

<u>संख्या-सम्ब0-359(1)/सत्तर-2-2011-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
(3) सचिव/प्रबन्धक, स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय, पुवायां, शाहजहांपुर
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) वेबमास्टर, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।
(6) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरजन सिंह)
अनु सचिव।

81
03-9-11

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

पत्रांक : रु.वि/सम्ब./2011/4543

दिनांक 2/9/11

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय

पुवायाँ शाहजहाँपुर

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 2/8/11 & 24/8/11 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया है–

1- डॉ० मुजन सिंह (गणित)

2 - डॉ० मनोज कुमार (जन्तु विज्ञान)

3 - डॉ० सुशील कुमार (SC) (वनस्पति)

4 - डॉ० राज कमल रस्तोगी (रसायन)

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2002-2 (85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

उप-कुलसचिव

03/10/11

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

पत्रांक : रु.वि/सम्ब./2011

दिनांक 31/8/11

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय

पुवायां जिला- शाहजहांपुर

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 11/8/11 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया है–

1- डा० प्रमोद कुमार - प्राचार्य

2- श्री राजेन्द्र मोहन जीत - प्रवक्ता समाजशास्त्र

3- श्री जयपाल सिंह - प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2002-2 (85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

उप-कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले
रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

दिनांक 18/10/11

पत्रांक : रु.वि/सम्ब./2011

सेवा में,

~~प्रबन्धक~~/प्राचार्य

स्वामी विवेकानन्द

महाविद्यालय पुवायाँ

(शाहजहाँपुर)

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 30/9/11 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/~~प्राचार्य~~ का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं/~~प्राचार्य~~ का अनुमोदन प्रदान किया है–

डॉ॰ शिशुपाल सिंह   भौतिक शास्त्र

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2002-2 (85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

(sd/-)

उप-कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly

दिनांक 02-12-2011

पत्रांक : रु.वि/सम्ब./2011/4711

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय

पुवायाँ, शाहजहाँपुर

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 04-11-2011 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने संस्था में कुलपति महोदय द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में चयनित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के आलोक में कुलपति जी ने निम्नलिखित प्रवक्ताओं/प्राचार्य का अनुमोदन प्रदान किया है–

1- श्री सुनील कुमार राजपूत प्रवक्ता, B.B.A

2- श्री प्रशान्त यादव " "

3- कु० सुगन्धा चतुर्वेदी " "

4- कु० सोनल अग्रवाल " "

अतः उपरोक्त अनुमोदित प्रवक्ताओं/प्राचार्य को शासनादेश संख्या 2443/सत्तर-2-2002-2 (85)/97 दिनांक 09.05.2000 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्रदान करें। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, कार्यभार आख्या, अनुबन्ध पत्र/शपथ पत्र फोटो सहित विश्वविद्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करें।

भवदीय

उप कुलसचिव

STD. 0581
☎ 2527263, 2527286
2527282, 2527273

म. ज्यो. फु. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

M. J. P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली - 243 006 (भारत)
BAREILLY - 243 006 (INDIA)

Ref. No. रू0वि0/रासेयो/2011–12/..........

Dated ....

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या

....

....

विषयः राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र 2011–12 हेतु छात्र संख्या आबंटन।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि आपके महाविद्यालय/इन्स्टीट्यूट हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की निम्नलिखित इकाई/इकाईयां स्वीकृत की जा रही है जिनके आधार पर सामान्य (नियमित) तथा विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु निम्नानुसार छात्र/छात्रा संख्या निर्धारित की गई है।

इकाईयों की संख्या .... छात्र संख्या सामान्य (नियमित) कार्यक्रम.......... विशेष शिविर..........

कृपया उक्त इकाई/इकाईयों हेतु कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना में
रुचि रखने वाले प्राध्यापकों में से पैनल तैयार कर वरीयता क्रम में तीन–तीन नाम प्रस्तावित कर विश्वविद्यालय
को भेजने का कष्ट करें जिससे आपके महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित हो
सके।

यदि आपके महाविद्यालय के किसी कार्यक्रम अधिकारी का कार्यकाल तीन वर्ष पूर्ण हो चुका है तथा वह
प्रशिक्षित है और कार्य उच्च कोटि का रहा हो तो एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार हेतु कार्यक्रम अधिकारी के
प्रपत्र/प्रस्ताव अविलम्ब राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग को भिजवाने का कष्ट करें। जिन कार्यक्रम अधिकारियो ने
एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी टी0ओ0सी0 लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, उनको मानदेय का
भुगतान न किया जाये, तथा उनके स्थान पर नियुक्ति हेतु नया पैनल भेजा जाये यदि किसी कारण कार्यक्रम
अधिकारी की नियुक्ति हेतु पैनल तैयार कर भेजने में कठिनाई आ रही है तो अविलम्ब सूचित करें जिससे उक्त
इकाई को किसकी अन्यत्र महाविद्यालय हेतु स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा सके। यह भी सूच्य है कि
विशेष शिविर आयोजित न करने वाली इकाईयों के कार्यक्रम अधिकारी को भी मानदेय का भुगतान न किया
जाये।

क्रमशः पेज–2 पर

म.ज्यो.फु. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

M.J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY.

No. राष्ट्रीय/सेवा 2011-12/6055-6266 Dated 25.10.2011

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रासेयो)

विषय- राष्ट्रीय सेवा योजना सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन सत्र 2011-12

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सात दिवसीय विशेष शिविर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी [illegible] तिथियों में आयोजित किये जायेंगे। उ0प्र0शासन एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित [illegible] मतदाता जागरूकता [illegible] एवं लोकतन्त्र के लिए युवा को ध्यान में रखते हुए शिविर आयोजित होंगे। अतः कृपया [illegible] ग्राम/मलिन बस्ती का [illegible] विवरण संलग्न अनुमति प्रोफार्मा में अंकित करते हुए विशेष शिविर आयोजित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग को अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय अथवा उ0प्र0शासन की बिना लिखित अनुमति के आयोजित कोई भी शिविर मान्य नहीं होगा। तिथियों में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है।

जनपद नाम	तिथियाँ
बरेली/पीलीभीत/शाहजहाँपुर	01-12-2011 से 07-12-2011 अथवा 01-01-2012 से 07-01-2012
बदायूँ/रामपुर/भीमनगर	11-12-2011 से 17-12-2011 अथवा 11-01-2012 से 17-01-2012
मुरादाबाद/जे0पी0नगर/बिजनौर	21-12-2011 से 27-12-2011 अथवा 21-01-2012 से 27-01-2012
छूटे हुए सात दिवसीय विशेष शिविर	01-02-2012 से 07-02-2012

भवदीय,

(डॉ0आर0एस0मिश्र)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. कुलपति जी/वित्त अधिकारी/कुलसचिव, एम0जे0पी0रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
2. [illegible] बहादुर सिंह, विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ) विभाग उ0प्र0शासन, लखनऊ
3. श्री[illegible]सिंह, सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय भवन, आठवाँ तल, हाल नं01, सेक्टर-एच अलीगंज, लखनऊ
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली
5. कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

उपरोक्त छात्र संख्या निम्नलिखित प्रतिबन्ध के अधीन आवंटित की जाती है।

1. प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा निवेश पत्र, पंजीकरण सूची एवं रू0 5/– प्रति छात्र की दर से पंजीकरण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी के पद नाम देय हो, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग को 31.10.2011 तक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा इकाई निरस्त की जा सकती है।
2. प्रत्येक राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा अलग–अलग ग्राम/शहरी मलिन बस्ती का चयन संस्था से निकटतम दूरी तक किया जाये।
3. प्रत्येक इकाई द्वारा सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चारों एक दिवसीय शिविरों के आयोजन की प्रस्तावित तिथियां, चयनित ग्राम/शहरी मलिन बस्ती का विवरण एवं विशेष शिविरों हेतु निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाये। उक्त के अभाव में एक दिवसीय/विशेष शिविर मान्य नहीं होंगे।
4. राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा खर्चों में मितव्ययता लायी जाये। अन्य स्रोत से ऋण लेकर कार्यक्रमों का संचालन न किया जाये। आडिट आपत्तियों का निस्तारण तत्परता से कराया जाये।
5. नियमित (सामान्य) कार्यक्रम न्यूनतम 120 घण्टे कराना सुनिश्चित किया जाये साथ ही एक वर्ष में कम से कम 10 घण्टे गणतन्त्र दिवस परेड नई दिल्ली की तैयारियों/अभ्यास के लिए आरक्षित किया जाये, 31 मार्च तक सत्र समाप्त होने पर स्वयं सेवकों की डायरियां कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा चैक कर विश्वविद्यालय भेजी जाये।
6. विशेष शिविर आयोजन की सूचना 15 दिन पूर्व जिला अधिकारी, उ0प्र0 शासन एवं भारत सरकार, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ को पूर्ण पता लिखकर पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।
7. स्नातक स्तर पर प्रथम व द्वितीय वर्ष में अध्ययरत छात्रों को प्रवेश दिया जाये। ऐसे छात्रों को वरीयता प्रदान की जाये जो इण्टरमीडिएट +2 स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों में संलग्न रहे हों।
8. एक दिवसीय एवं विशेष शिविरों की उपस्थिति पंजीका पर छात्र का नाम, पिता का नाम, कक्षा तथा उसके सामने उपस्थिति के हस्ताक्षर प्रत्येक दिन कराये जाये।
9. उ0प्र0 शासन/भारत सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को दिये गये निर्देशानुसार संचालित कराया जाये।
10. महाविद्यालय को आवंटित्त इकाई मे परिवर्तन करने का अधिकार नही है, प्रत्येक इकाई मे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्र संख्या से अधिक छात्र संख्या पंजीकृत नही होना चाहिए।
11. उपरोक्त निर्देशो का अनुपालन इकाइयों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। गत वर्ष का आय–व्यय विवरण यदि नही भेजा गया है तो अविलम्ब भिजवायें, अन्यथा यह आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

भवदीय

(डा0 [illegible] मिश्रा)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना